व्यवहार न्यायालय सहित विभिन्न केन्द्रों पर डालसा की ओर से मन का मिलन पखवारा आयोजित

राष्ट्रीय सागर सवांददाता

गोड्डा : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सह प्रधान जिला जज देवेन्द्र कुमार पाठक के मार्गदर्शन में झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर जिला मुख्यालय सहित विभिन्न विधिक सहायता केन्द्रों पर मन का मिलन पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। पखवाड़ा के चौथे दिन शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय परिसर , फ्रंट आफिस, मध्यस्थता केन्द्र एवं प्रखंड स्तर पर गठित विधिक सहायता केन्द्रों

पर मामले के निष्पादन को लेकर मध्यस्थता की गई। इस दौरान डालसा की टीम ने जन जागरुकता अभियान चलाकर लोगों को इससे होने वाले लाभ की जानकारी दी और संबंधित पोस्टर भी वितरित किये गये। गहन मध्यस्थता केन्द्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डा. प्रदीप कुमार ने कहा कि यह पखवारा 29 मई से 14 जून तक जारी रहेगा। इसके तहत लोगों को अदालत के बाहर विवादों को सुलझाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। मन का मिलन पखवाड़ा में प्री लिटिगेशन एवं लिटिगेशन दोनों तरह मामले पर विचार किया जायेगा। इस पखवारा का मुख्य उद्‌?देश्य मध्यस्थता के माध्यम से छोटी-छोटी वादों का त्वरित निष्पादन कराना है। खासकर छोटी- छोटी बातों को लेकर बिखर रहे परिवार को बचाने की जरुरत है। इस संबंध में त्वरित न्याय के लिए मध्यस्थता जरुरी है। पखवारा में सबसे अधिक फोकस फैमिली विवादों को समाधान करने पर रहेगा। इसके साथ ही डालसा की टीम के माध्यम से आम लोगों को पखवारा के संबंध में जानकारी दी जा रही है। पखवारा के प्रचार-प्रसार को लेकर जगह- जगह बैनर-पोस्टर लगाया गये हैं वहीं जिला मुख्यालय सहित प्रखंड स्तर पर हेंडबिल का वितरण किया जा रहा है।

डालसा की ओर से मन का मिलन पखवारा आयोजित

संवाददाता

गोड्डा । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सह प्रधान जिला जज देवेन्द्र कुमार पाठक के मार्गदर्शन में झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर जिला मुख्यालय सहित विभिन्न विधिक सहायता केन्द्रों पर मन का मिलन पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। पखवाड़ा के दूसरे दिन मंगलवार को व्यवहार न्यायालय परिसर , फ्रंट आफिस, मध्यस्थता केन्द्र एवं प्रखंड स्तर पर गठित विधिक सहायता केन्द्रों पर मामले के निष्पादन को लेकर मध्यस्थता की गई। इस दौरान आम लोगों के बीच डालसा की टीम ने जन जागरुकता अभियान चलाकर लोगों को इससे होने वाले लाभ की जानकारी दी। इससे संबंधित पोस्टर भी वितरित किये गये। गहन मध्यस्थता केन्द्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डा. प्रदीप कुमार ने कहा कि यह पखवारा 29 मई से 14 जून तक जारी रहेगा। इसके तहत लोगों को अदालत के बाहर विवादों को सुलझाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। मन का मिलन पखवाड़ा में प्री लिटिगेशन एवं लिटिगेशन दोनों तरह मामले पर विचार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि त्वरित न्याय के लिए मध्यस्थता जरूरी है। इसमें सबसे अधिक फोकस फैमिली विवादों को समाधान करने पर रहेगा।इसके साथ ही डालसा की टीम के माध्यम से आम लोगों को पखवारा के संबंध में जानकारी दी जा रही है। पखवारा के प्रचार-प्रसार को लेकर जगह- जगह बैनर-पोस्टर लगाया गये है वहीं जिला मुख्यालय सहित प्रखंड स्तर पर हैंडबिल का वितरण किया जा रहा है। पखवारा को सफल बनाने में व्यवहार न्यायालय परिसर में पीएलवी नवीन कुमार, आनंद कुमार, पूजा रानी, रश्मि कुमारी, सदर प्रखंड में जायसवाल मांझी व चंपा कुमारी, पोड़ैयाहाट में शंकर चंद्र सेन व मीनू बेसरा, सुंदरपहाड़ी में दिलीप यादव व चुनका मरांडी, बसंतराय में मो. हसीब व मंजरी बीबी, महागामा में विमल टुडू, मेहरमा में रामविलास महतो व दयानंद यादव आदि सराहनीय भूमिका निभा रहे है।

मन मिलन पखवाड़ा के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन आयोजित

साहिबगंज(उजाला) ।झालसा के निदेर्शानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार मनोज कुमार सिंह के मार्गदर्शन में तथा सचिव सह वरीय सिविल जज धर्मेन्द्र कुमार के आदेशानुसार 29 मई से 14 जून 2023 तक मन का मिलन पखवाड़ा के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन कलवाटोला मदनशाही में किया गया ।जिसमे आपसी सुलह समझौता के माध्यम से सिविल कोर्ट मे अपने केश का निपटारा मध्यस्थता के माध्यम से करा सकते है ।मौके पर पीएलभी बंदना कुमारी,माधुरी कुमारी तथा सैकड़ों ग्रामीण क्षेत्रों के पुरुष और महिला उपस्थित थे।

डालसा की ओर से मन का मिलन पखवारा आयोजित

देशप्राण संवाददाता

गोड्डा, 31 मई : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोड्डा के अध्यक्ष सह प्रधान जिला जज देवेन्द्र कुमार पाठक के निर्देशन में आज झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर जिला मुख्यालय सहित विभिन्न विधिक सहायता केन्द्रों पर मन का मिलन पखवाड़ा का आयोजन किया गया पखवाड़ा के दूसरे दिन मंगलवार को व्यवहार न्यायालय परिसर , फ्रंट आफिस, मध्यस्थता केन्द्र एवं प्रखंड स्तर पर गठित विधिक सहायता केन्द्रों पर मामले के निष्पादन को लेकर मध्यस्थता की गई। इस दौरान आम लोगों के बीच डालसा की टीम ने जन जागरुकता अभियान चलाकर लोगों को इससे होने वाले लाभ की जानकारी दी और इससे संबंधित पोस्टर भी वितरित किये गये। गहन मध्यस्थता केन्द्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डा. प्रदीप कुमार ने कहा कि यह पखवारा 29 मई से 14 जून तक जारी रहेगा। इसके तहत लोगों को अदालत के बाहर विवादों को सुलझाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। मन का मिलन पखवाड़ा में प्री लिटिगेशन एवं लिटिगेशन दोनों तरह मामले पर विचार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि त्वरित न्याय के लिए मध्यस्थता जरुरी है। पखवारा के प्रचार- प्रसार को लेकर जगह- जगह बैनर-पोस्टर लगाया गये हैं। पखवारा को सफल बनाने में व्यवहार न्यायालय परिसर में पीएलवी नवीन कुमार, आनंद कुमार, पूजा रानी, रश्मि कुमारी, सदर प्रखंड में जायसवाल मांझी व चंपा कुमारी, पोड़ैयाहाट में शंकर चंद्र सेन व मीनू बेसरा, सुंदरपहाड़ी में दिलीप यादव व चुनका मरांडी, बसंतराय में मो. हसीब व मंजरी बीबी, महागामा में विमल टुडू, मेहरमा में रामविलास महतो व दयानंद यादव आदि शामिल हैं ।

मन का मिलन पखवाड़ा के तहत सिविल वाद का निष्पादन

चतरा (आजाद सिपाही)। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में व्यवहार न्यायालय स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार में प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह के मार्ग दर्शन में प्राधिकार की सचिव श्रीमति प्रज्ञा बाजपेयी द्वारा मन का मिलन पखवाडा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा के अथक प्रयास से वर्ष 2006 के सिविल अपील के 8 वादी और 34 प्रतिवादी को समझौते के लिए मध्यस्था केंद्र में उपस्थित हुये। इसके लिए विनोद पाठक को मध्यस्थ अधिकृत किया गया। मध्यस्थ के प्रयास से उभय पक्षों के बीच समझौता कर वाद का निष्पादन किया गया। यह वाद वर्ष 1990 में सिविल जज के न्यायालय में दायर किया गया था। यह चतरा व्यवहार न्यायालय का सबसे पुराना मामला था, जिसका निष्पादन किया गया।

‘पारिवारिक विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता का सहारा लें’

मन का मिलन

गोड्डा, एक प्रतिनिधि। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सह प्रधान जिला जज देवेन्द्र कुमार पाठक के मार्गदर्शन में झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर जिला मुख्यालय सहित विभिन्न विधिक सहायता केन्द्रों पर मन का मिलन पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। पख[illegible] तीसरे दिन बुधवार को गहन मध्स्थता केंद्र में वादों की सुनवाई की गई तथा इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

मध्यस्थ के रूप में अजय प्रसाद साह ने कहा कि मीडिएशन वादों के निष्पादन का सबसे बेहतर विकल्प है। इसके माध्यम से निष्पादित मामले में दोनों पक्षों की जीत होती है। त्वरित न्याय के लिए मीडिएशन को अपनाएं। पारिवारिक मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता का सहारा लें और सूखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत करें। इसके अलावा व्यवहार न्यायालय परिसर, फ्रंट आफिस, एवं प्रखंड स्तर पर गठित विधिक सहायता केन्द्रों पर मामले के निष्पादन को लेकर मध्यस्थता की गई एवं इस दौरान आम लोगों के बीच डालसा की टीम ने जन जागरुकता अभियान चलाकर लोगों को इससे होने वाले लाभ की जानकारी दी। इससे संबंधित पोस्टर भी वितरित किये गये। यह पखवारा 29 मई से 14 जून तक जारी रहेगा।

अपनी समस्याओं को बताते लोग। • हिन्दुस्तान

लोगों को अदालत के बाहर विवादों को सुलझाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। मन का मिलन पखवाड़ा में प्री लिटिगेशन एवं लिटिगेशन दोनों तरह मामले पर विचार किया जायेगा। डालसा की टीम के माध्यम से आम लोगों को पखवारा के संबंध में जानकारी दी जा रही है। पखवारा के प्रचार- प्रसार को लेकर जगह- जगह बैनर-पोस्टर लगाया गये हैं। वहीं जिला मुख्यालय सहित प्रखंड स्तर पर हेंडबिल का वितरण किया जा रहा है। पखवारा को सफल बनाने में व्यवहार न्यायालय परिसर में पीएलवी नवीन कुमार, आनंद कुमार, पूजा रानी, रश्मि कुमारी, सदर प्रखंड में जायसवाल मांझी व चंपा कुमारी, पोड़ैयाहाट में शंकर चंद्र सेन व मीनू बेसरा, सुंदरपहाड़ी में दिलीप यादव व चुनका मरांडी, बसंतराय में मो. हसीब व मंजरी बीबी, महागामा में विमल टुडू, मेहरमा में रामविलास महतो व दयानंद यादव आदि सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं।

मन का मिलन कार्यक्रम को लेकर ग्रामीण हुए जागरूक

सभी समानता/दिलीप कुमार चौपदार।

कुंडहित जामताड़ा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार जामताड़ा के निर्देश

पर गुरुवार को कुंडहित प्रखंड परिसर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जानकारी के अनुसार 29 मई से 14 जून तक जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जामताड़ा जिले में विशेष मध्यस्थता अभियान मन की मिलन पखवाड़ा का आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों को मन की मिलन पखवाड़ा के तहत विशेष मध्यस्थता के माध्यम से सुलह समझौता के आधार पर अपने आप से वादो का निष्पादन करा लेने की जानकारी दी गई। बताया गया कि इस दौरान मध्यस्थता के माध्यम से मामलों का निष्पादन किया जाएगा। मध्यस्था से निपटाए जाने वाले मामलों में दोनों पक्षों की ही जीत होती है। साथ ही लोगों की समय और धन की बचत होती है। और रिश्तो में भी आपसी संबंधों को बचाए रखा जा सकता हैं। उपस्थित लोगों को पखवाड़े के दौरान अपने-अपने लंबित वादों का निष्पादन मध्यस्थता से कराने एवं विशेष जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार जामताड़ा में संपर्क करने की संबंधी जानकारी दी गई।

मन का मिलन पखवाड़ा के तीसरे दिन 156 लोग हुए लाभान्वित

चाईबासा. व्यवहार न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मध्यस्थता अभियान को लेकर मन का मिलन पखवाड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है. कार्यक्रम के तीसरे दिन 156 लोग लाभान्वित हुए. जिसमें तीन मामले सुलझाए गये. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा यह पखवाड़ा 14 जून तक चलेगा.

डालसा की ओर से मन का मिलन पखवाड़ा आयोजित

राष्ट्रीय सागर सवांददाता

गोड्डा : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोड्डा के अध्यक्ष सह प्रधान जिला जज देवेन्द्र कुमार पाठक के निर्देशन में आज झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर जिला मुख्यालय सहित विभिन्न विधिक सहायता केन्द्रों पर मन का मिलन पखवाड़ा का आयोजन किया गया । पखवाड़ा के दूसरे दिन मंगलवार को व्यवहार न्यायालय परिसर , फ्रंट आफिस, मध्यस्थता केन्द्र एवं प्रखंड स्तर पर गठित विधिक सहायता केन्द्रों पर मामले के निष्पादन को लेकर मध्यस्थता की गई। इस दौरान आम लोगों के बीच डालसा की टीम ने जन जागरुकता अभियान चलाकर लोगों को इससे होने वाले लाभ की जानकारी दी और इससे संबंधित पोस्टर भी वितरित किये गये। गहन मध्यस्थता केन्द्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डा. प्रदीप कुमार ने कहा कि यह पखवारा 29 मई से 14 जून तक जारी रहेगा। इसके तहत लोगों को अदालत के बाहर विवादों को सुलझाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। मन का मिलन पखवाड़ा में प्री लिटिगेशन एवं लिटिगेशन दोनों तरह मामले पर विचार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि त्वरित न्याय के लिए मध्यस्थता जरुरी है। इसमें सबसे अधिक फोकस फैमिली विवादों को समाधान करने पर रहेगा। इसके साथ ही डालसा की टीम के माध्यम से आम लोगों को पखवारा के संबंध में जानकारी दी जा रही है। पखवारा के प्रचार- प्रसार को लेकर जगह- जगह बैनर-पोस्टर लगाया गये हैं। पखवारा को सफल बनाने में व्यवहार न्यायालय परिसर में पीएलवी नवीन कुमार, आनंद कुमार, पूजा रानी, रश्मि कुमारी, सदर प्रखंड में जायसवाल मांझी व चंपा कुमारी, पोड़ैयाहाट में शंकर चंद्र सेन व मीनू बेसरा, सुंदरपहाड़ी में दिलीप यादव व चुनका मरांडी, बसंतराय में मो. हसीब व मंजरी बीबी, महागामा में विमल टुडू, मेहरमा में रामविलास महतो व दयानंद यादव आदि शामिल हैं ।

महतो, जय देवी दुबे, पवन झा सहित अन्य उपस्थित थे.

मन का मिलन पखवाड़ा में दो वादों का निबटारा

बोकारो. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो कुमारी रंजना अस्थाना की देखरेख में गुरुवार को मन का मिलन पखवाड़ा का आयोजन पंचायतों में किया गया. इसमें पारा लीगल वॉलंटियर्स ने बैनर व पंपलेट द्वारा लोगों को जागरूक किया गया. विभिन्न वादों में दोनों पक्षकार शामिल हुए. न्यायालय में लंबित दो वादों में सुलह कराया गया. इसमें से कुटुंब न्यायालय में लंबित मामला मध्यस्थ केजी चटर्जी, पैनल अधिवक्ता एमके लायक, अधिवक्ता श्रीकांत कुमार शर्मा के प्रयास से सुलझाया गया. मौके पर डालसा सचिव निभा रंजना लकड़ा मौजूद थी.

मन का मिलन में तीन मामलों का निष्पादन

जासं, बोकारो : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमारी रंजना अस्थाना के निर्देश पर चल रहे मन का मिलन पखवाड़ा कार्यक्रम में मंगलवार को तीन मामलों का निष्पादन हुआ। दूसरे दिन इन मामलों को निष्पादित करने के लिए मध्यस्थ आफताब आलम, बीके पांडेय व केजी चटर्जी ने पक्षकारों को समझाकर न्यायालय में चल रहे मामलों को निष्पादित कराया गया।

मन का मिलन पखवाड़ा कार्यक्रम के माध्यम से मध्यस्थता का लाभ ले और बाकी वंचित जरूरतमंद को भी दिलाए- सचिव

गणेश झा

पाकुड़- मध्यस्थता को अपनाए खुद और न्यायालय का समय बचाए
झालसा रांची के निर्देशानुसार शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के बाल कृष्ण तिवारी के निर्देश पर सचिव शिल्पा मुर्मू के मार्गदर्शन में पाकुड़ जिले के कई प्रखंडों के ग्रामीण क्षेत्रों में मन का मिलन पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया।मन का मिलन पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित से लोगो को उनसे मिलने वाली लाभ जो मध्यस्थता के दौरान मिलती है मध्यस्थता केंद्र में उपस्थित पैनल अधिवक्ता संजीत मुखर्जी ने जिक्र करते हुए बताया कि त्वरित प्रभावी न्याय और सस्ती प्रक्रिया है, गोपनीयता की गारंटी है लचीली अनौपचारिक सौहार्दपूर्ण एवम् उचित प्रक्रिया लाभ समेत

स्वैच्छिक विवाद समाधान,होता है मध्यस्थता के दौरान किए गए समझौते के विरुद्ध कोई अपील नही होती वही मिडियेटर अनंत किशोर ओझा ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच अनवरत मधुर संबंध के अलावे मध्यस्थता के आधार पर हुए निर्णय में न्यायालय शुल्क की वापसी लाभ प्रदान करना है। ऐसे तमाम कानूनी जानकारी दी गई। वही पीएलवी उत्पल मंडल और नीरज कुमार राउत द्वारा कहा गया की मध्यस्थता कराने हेतु पक्षकारों की सुविधानुसार समय स्थान रखा जा सकता है फिलहाल मन का मिलन पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत समय सुबह सात बजे से बारह बजे तक परामर्श अथवा लाभ लेने हेतु मध्यस्त,सचिव, पुलिस पदाधिकारी, से मिलने हेतु समय रखा गया है जागरूक पर्ची में सभी स्तर के विधिक कार्यालय का संपर्क नंबर एवम् ईमेल

● मध्यस्थता को अपनाए खुद और न्यायालय का समय बचाए झालसा रांची के निर्देशानुसार शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के बाल कृष्ण तिवारी के निर्देश पर सचिव शिल्पा मुर्मू के मार्गदर्शन में पाकुड़ जिले के कई प्रखंडों के ग्रामीण क्षेत्रों में मन का मिलन पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

आईडी दी गई। त्वरित कार्रवाई हेतु लाभ ले सकते हैं अथवा डालसा में आवेदन दे सकते है।डालसा सदस्य द्वारा अपील है की इस मन का मिलन पखवाड़ा के तहत् समय रहते अधिक से अधिक संख्या में लाभ ले और भी बाकी जरूरतमंद योग्य व्यक्ति को लाभ दिलाए।मध्यस्थता को अपनाए खुद और न्यायालय का समय बचाए।पाकुड़ के जयकिष्टोपुर में याकुब अली ने जागरूक किया। वही नवादा पंचायत में पीएलवी सायेम अली ने मन का मिलन पखवाड़ा से संबंधित जागरूक किया। पाकुड़ प्रखंड परिसर स्थित आर सी टी भवन में पीएलवी कमला राय गांगुली, पिंकी मंडल, नीरज कुमार राउत ने लोगों को मध्यस्थता के दौरान मिलने वाली निशुल्क सुविधाओ हकदार समेत इनके विशेषता और उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए जागरूक किया गया। वही महेशपुर प्रखंड के जीतलपुर ग्राम में पीएलवी चंदन रविदास द्वारा जागरूक किया गया। पाकुड़ जिले के पाकुड़िया प्रखंड में पीएलवी सीमा साह ने दूर दराज से आए ग्रामीण को मन का मिलन पखवाड़ा के बारे में विस्तृत जानकारी दी।मौके पर भारी संख्या में महिला एवम् ग्रामीण उपस्थित रहें।

सुंदरपहाड़ी में चलंत लोक अदालत आयोजित

गोड्डा, एक प्रतिनिधि। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से शक्रवार को सुदंरपहाड़ी प्रखंड के तिलाबाद गांव में चलंत लोक अदालत का आयोजन किया गया।

इस दौरान डालसा टीम में शामिल एलएडीसी के अजीत कुमार, पैनल अधिवक्ता आशिष कुमार, पीएलवी दिलीप यादव एवं चुनका मरांडी ने ग्रामीणों को बाल विवाह रोकने की दिशा में अहम भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बाल विवाह कानूनन अपराध है। लड़की को 18 से कम व लड़का की शादी 21 की उम्र में शादी कराना गैर कानूनी है। यह उम्र बालक- बालिकाओं के विकास व पठन- पाठन के लिए उपयुक्त होता है। ऐसे में कम उम्र में शादी होना उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करना है।

इसके लिए उभय पक्षों के अलावा पंडित, मौलवी, बाराती सहित शामिल होने वालों के लिए सजा व जुर्माना का प्रावधान है। इसके लिए जन जागरुकता की जरुरत है। सामाजिक कुरीतियों पर लगाम लगाने के लिए ही प्राधिकरण की ओर से जगह-जगह जागरुकता शिविर व विद्यालयों में लीगल लिटरेसी क्लास का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा मानव तस्करी, बाल श्रम, डायन प्रथा आदि से संबंधित कानूनी जानकारी दी गई। इस अवसर पर दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे। मौके पर लोगों को कानून व अधिकार से संबंधित जानकारी दी गई।

तिलाबाद गांव में जानकारी देती एलएडीसी व पीएलवी।

परिवार न्यायालय सभागार में मन का मिलन पखवारा पर कार्यक्रम आयोजित

गोड्डा ~ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सह प्रधान जिला जज देवेन्द्र कुमार पाठक के मार्गदर्शन में झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर गुरुवार को परिवार न्यायालय स्थित सभागार में मन का मिलन पखवारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उपस्थित वादी-प्रतिवादियों सहित आम लोगों को मध्यस्थता के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परिवार न्यायालय के प्रधान जज अशोक कुमार ने मध्यस्थता का सहारा लेकर परिवार को बिखरने से बचाने का आह्वान किया। कहा कि मध्यस्थता के माध्यम से मामले का निशुल्क निष्पादन होता है। पारिवारिक मामले से संबंधित विवाद में अपने अंदर के अहम को त्यागने की जरुरत है। अपने अंदर के इंसान को जागृत करने की जरुरत है। मध्यस्थता से निष्पादित मामले में दोनों पक्षों के बीच जारी विवाद का सदा के लिए निपटारा हो जाता है। इसलिए पूरी तरह से विचार कर इसके माध्यम से निष्पादन करने में अहम योगदान दें। कार्यक्रम का संचालन करते हुए प्राधिकरण के सचिव डा. प्रदीप कुमार ने कहा कि मध्यस्थता से समय व फिजूलखर्ची पर रोक लगेगी जिसका उपयोग रचनात्मक कार्यों में किया जा सकेगा। इसके अलावा मध्यस्थ धर्मेन्द्र नारायण, सादिक अहमद, रीना कुमार डे आदि ने कहा कि औपचरिकता व गवाहों का परीक्षण कराने के कारण कोर्ट के माध्यम से न्याय मिलने में देरी होती है। कोर्ट के आदेश के बावजूद अनुपालन कराने में भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए किसी बिचौलिया व साथी-संगी के बहकावे में नहींआयें ओर ठंडे दिमाग से अहम को त्याग कर अपने पारिवारिक मामले का आपसी समझौता के माध्यम से सुलह करायें । यही समय की मांग है। इस अवसर पर पीएलवी नवीन कुमार, इंतेखाब आलम, बासुदेव मणीनंदन कुमार, धनंजय कुमार, आदि उपस्थित थे। इस दौरान पखवारा से संबंधित पोस्टर का भी वितरण किया गया।

डालसा की ओर से मन का मिलन पखवारा आयोजित

संवाददाता

गोड्डा । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सह प्रधान जिला जज देवेन्द्र कुमार पाठक के मार्गदर्शन में झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर जिला मुख्यालय सहित विभिन्न विधिक सहायता केन्द्रों पर मन का मिलन पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। पखवाड़ा के तीसरे दिन बुधवार को गहन मध्स्थता केंद्र में वादों की सुनवाई की गई तथा इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई ।मध्यस्थ के रूप में अजय प्रसाद साह ने कहा कि मीडिएशन वादों के निष्पादन का सबसे बेहतर विकल्प है ।इसके माध्यम से निष्पादित मामले में दोनों पक्षों की जीत होती है ।त्वरित न्याय के लिए मीडिएशन को अपनाएं ।पारिवारिक मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता का सहारा लें और सूखी दाम्पत्य जीवन

व्यतीत करें । इसके अलावा व्यवहार न्यायालय परिसर , फ्रंट आफिस, एवं प्रखंड स्तर पर गठित विधिक सहायता केन्द्रों पर मामले के निष्पादन को लेकर मध्यस्थता की गई एवं इस दौरान आम लोगों के बीच डालसा की टीम ने जन जागरुकता अभियान चलाकर लोगों को इससे होने वाले लाभ की जानकारी दी। इससे संबंधित पोस्टर भी वितरित किये गये। यह पखवारा 29 मई से 14 जून तक जारी रहेगा। इसके तहत लोगों को अदालत के बाहर विवादों को सुलझाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। मन का मिलन पखवाड़ा में प्री लिटिगेशन एवं लिटिगेशन दोनों तरह मामले पर विचार किया जायेगा। डालसा की टीम के माध्यम से आम लोगों को पखवारा के संबंध में जानकारी दी जा रही है। पखवारा के प्रचार- प्रसार को लेकर जगह- जगह बैनर-पोस्टर लगाया गये हैं। वहीं जिला मुख्यालय सहित प्रखंड स्तर पर हेंडबिल का वितरण किया जा रहा है। पखवारा को सफल बनाने में व्यवहार न्यायालय परिसर में पीएलवी नवीन कुमार, आनंद कुमार, पूजा रानी, रश्मि कुमारी, सदर प्रखंड में जायसवाल मांझी व चंपा कुमारी, पोड़ैयाहाट में शंकर चंद्र सेन व मीनू बेसरा, सुंदरपहाड़ी में दिलीप यादव व चुनका मरांडी, बसंतराय में मो. हसीब व मंजरी बीबी, महागामा में विमल टुडू, मेहरमा में रामविलास महतो व दयानंद यादव आदि सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं।

व्यवहार न्यायालय सहित विभिन्न केन्द्रों पर डालसा की ओर से मन का मिलन पखवारा आयोजित

गोड्डा ।संताल एक्सप्रेस। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सह प्रधान जिला जज देवेन्द्र कुमार पाठक के मार्गदर्शन में झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर जिला मुख्यालय सहित विभित्र विधिक सहायता केन्द्रों पर मन का मिलन पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। पखवाड़ा के चौथे दिन शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय परिसर , फंट आफिस, मध्यस्थता केन्द्र एवं प्रखंड स्तर पर गठित विधिक सहायता केन्द्रों पर मामले के निष्पादन को लेकर मध्यस्थता की गई। इस दौरान न्यायालय परिसर में आम लोगों के बीच प्रोजेक्टर के माध्यम से विशेष जानकारी दी गई। डालसा की टीम ने जन जागरुकता अभियान चलाकर लोगों को इससे होने वाले लाभ की जानकारी दी। इससे संबंधित पोस्टर भी वितरित किये गये। गहन मध्यस्थता केन्द्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डा. प्रदीप कुमार ने कहा कि यह पखवारा 29 मई से 14 जून तक जारी रहेगा। इसके तहत लोगों को अदालत के बाहर विवादों को सुलझाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। मन का मिलन पखवाड़ा में प्री लिटिगेशन एवं लिटिगेशन दोनों तरह मामले पर विचार किया जायेगा। इस पखवारा का मुख्य उद्?देश्य मध्यस्थता के माध्यम से छोटी-छोटी वादों का त्वरित निष्पादन कराना है। खासकर छोटी- छोटी बातों को लेकर बिखर रहे परिवार को बचाने की जरुरत है। इस संबंध में त्वरित न्याय के लिए मध्यस्थता जरुरी है। पखवारा में सबसे अधिक फोकस फैमिली विवादों को समाधान करने पर रहेगा। इसके साथ ही डालसा की टीम के माध्यम से आम लोगों को पखवारा के संबंध में जानकारी दी जा रही है। पखवारा के प्रचार- प्रसार को लेकर जगह-जगह बैनर-पोस्टर लगाया गये हैं वहीं जिला मुख्यालय सहित प्रखंड स्तर पर हेंडबिल का वितरण किया जा रहा है। पखवारा को सफल बनाने में व्यवहार न्यायालय परिसर में पीएलवी नवीन कुमार,इंतेखाब आलम,बासुदेव मणीनंदन कुमार, धनंजय कुमार, सदर प्रखंड में जायसवाल मांझी व चंपा कुमारी, पोड़ैयाहाट में शंकर चंद्र सेन व मीनू बेसरा, सुंदरपहाड़ी में दिलीप यादव व चुनका मरांडी, बसंतराय में मो. हसीब व मंजरी बीबी, महागामा में विमल टुडू, मेहरमा में रामविलास महतो व दयानंद यादव आदि सराहनीय

01-06-2023

मन का मिलन पखवाड़ा में दो वादों का किया गया निपटारा

बोकारो. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्ष कुमारी रंजना अस्थाना की देखरेख में मन का मिलन पखवाड़ा का आयोजन बुधवार को भी किया गया. विभिन्न वादों में दोनों पक्षकार शामिल हुए. कोर्ट में लंबित दो मामले का निबटारा मध्यस्थ केजी चटर्जी व एके राय द्वारा कराया गया. साथ ही न्याय सदन बोकारो में मध्यस्थों के लिए आयोजित तीन दिवसीय ऑनलाइन एडवांस प्रशिक्षण का समापन हुआ. मास्टर ट्रेनर एके राय ने जानकारी दी. इधर, सदर अस्पताल बोकारो में विश्व तंबाकू निषेध दिवस सह विधिक जागरूकता कार्यक्रम बुधवार को हुआ. प्राधिकार की सचिव निभा रंजना लकड़ा ने कहा कि सबसे पहले स्वास्थ्य जोखिम के प्रति लोगों को जागरूक करना जरूरी है. तंबाकू का सेवन करने से फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है. मौके पर डॉ बीपी गुप्ता, पवन श्रीवास्तव, निमाई दत्ता, यदु महतो, दिगंबर दुबे आदि मौजूद थे.

'पखवाड़ा कार्यक्रम मध्यस्थता पर आधारित'

सरायकेला. विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मन का मिलन पखवाड़ा को लेकर गुरुवार को हेंसा गांव में जागरूकता अभियान चलाया गया. पीएलवी राधेश्याम महतो व राजकुमार कैवर्त ने ग्रामीणों को मन का मिलन पखवाड़ा के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पखवाड़ा कार्यक्रम मध्यस्थता पर आधारित है. इसके तहत घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद, लोन संबंधी मामले, जमीनी विवाद सहित पुराने विवादों का निपटारा निःशुल्क किया जायेगा. मौके पर ग्रामीणों को मन का मिलन पखवाड़े में भाग लेने की अपील की गयी.

को सरकारी योजनाओं यथा सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन

में उपायुक्त हर परिवारों को भूमि का पट्टा वितरित किया गया।

14 जून तक चलेगा मन का मिलन पखवाड़ा

धनबाद, 31 मई (नि.प्र.)। झालसा के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार धनबाद राम शर्मा के निर्देशानुसार विशेष रूप से दो सप्ताह के लिए मन का मिलन पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए अवर न्यायाधीश सह सचिव डालसा निताशा बारला ने बताया कि इसकी शुरुआत 29 मई से की गई है और यह 14 जून 2023 तक चलेगा। इसके माध्यम से मध्यस्थता केंद्र में वादी और प्रतिवादी पक्षों को एक सौहार्दपूर्ण वातावरण मुहैया कराया जाता है और दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता कराकर त्वरित न्याय दिलाने में सहयोग प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा इससे वादी और प्रतिवादी दोनों का समय और धन का बचत एवं आपसी संबंध मैत्रीपूर्ण रहे, इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए मन का मिलन पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। 28 मध्यस्थ और सब इंस्पेक्टर सौरभ चौबे व्यवहार न्यायालय में आए आगंतुकों को इसके लाभों के बारे में जागरूक कर रहे हैं।

तंबाकू का सेवन नहीं करने की ली शपथ

जमुआ प्रखण्ड के पोबी में डालसा ने किया मन की मिलन पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन

मतभेद भुलाकर पति पत्नी के पुनर्मिलन में सामुदायिक सहभागिता आवश्यक- योगेश पाण्डेय

पखवाड़ा के व्यापक प्रचार प्रसार में सभी की सहयोग जरूरी- सुबोध साव

जमुआ,प्रतिनिधि। जमुआ प्रखंड के ग्राम पंचायत पोबी में मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के आदेशानुसार मन की मिलन पखवाडा कार्यक्रम के तहत कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जमुआ विधिक सहायता केंद्र प्रखण्ड कार्यालय के पीएलवी सुबोध् कुमार साव ने उपस्थित लोगों को मन का मिलन पखवाडा के संबंध मे विस्तृत जानकारी देते हुए कहा की 29 मई से 14 जुन तक मन का मिलन पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह मे जारी है।मन का मिलन पखवाड़ा के तहत जिले के लोग लंबित, पुराना तथा नये मामले, वाद विवाद दोनों पक्षों की आपसी सहमति और सुलह से मध्यस्थता के माध्यम से निपटा सकते हैं। जिससे लोगों को सुलभ और जल्द न्याय बिना किसी खर्चे के मिल सके। इसमें किसी पक्ष की नहीं हार होती है और नहीं जीत. वादों को गोपनीय तरीके से सुलझाया जाता है। इस कार्यक्रम में मुफ्त परामर्श की

सेवाएं दी जाती है। यह कार्यक्रम 29 मई से 14 जून तक सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक चलेगा। साथ ही डालसा से प्राप्त पम्प पलेट लोगो के बीच वितरण किया गया। राष्ट्रीय मनवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरों जिलाध्यक्ष योगेश कुमार पाण्डेय ने पखवाड़ा के उद्देश्य,लक्ष्य से ग्रामीणों को अवगत कराते हुए मतभेद भुलाकर पति पत्नी के पुनर्मिलन में अहम भूमिका निभाने के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया। आंगनबाड़ी सेविका पुष्पा देवी, ए एन एम मंजू कुमारी ,वार्ड सदस्य दिलीप कुमार पासवान ने भी विचार व्यक्त किए ।उक्त अवसर पर जनार्दन पाण्डेय, कंचन कुमारी,विनीता प्रियदर्शिनी आदि ग्रामीण उपस्थित थे।

- जमुआ प्रखंड के ग्राम पंचायत पोबी में मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के आदेशानुसार मन की मिलन पखवाडा कार्यक्रम के तहत कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- जमुआ विधिक सहायता केंद्र प्रखण्ड कार्यालय के पीएलवी सुबोध् कुमार साव ने उपस्थित लोगो को मन का मिलन पखवाड़ा के संबंध मे विस्तृत जानकारी देते हुए कहा की 29 मई से 14 जून तक मन का मिलन पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह मे जारी है।

मन का मिलन पखवाड़े को किया जागरूक

संस, तेनुघाट : झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार शुक्रवार को प्रशासन के सहयोग से मध्यस्थता पर आधारित विशेष अभियान मन का मिलन पखवारा कार्यक्रम अनुमंडल के विभिन्न पंचायतों में किया गया। जिसमें पारा लीगल वोलेंटियर्स ने बैनर एवं पम्पलेट से लोगों को जागरूक किया। अभियान में अनुमंडल स्तर पर तेनुघाट व्यवहार न्यायालय में विभिन्न लंबित मामलों के निष्पादन को लेकर दोनों पक्षकारों के बीच समझौता व मिलन कराया जाएगा। उक्त जानकारी अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति के सचिव दीपक कुमार साहू ने दी है।

प्रभात खबर

सा

शहरों का तापमान जमशेदपुर : अधिकतम 41.

सिटी बाइट्स

'मन का मिलन' पखवाड़ा की दी गयी जानकारी

राजनगर. जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से पीएलवी भुक्तू मार्डी की ओर से मन का मिलन पखवाड़ा के तहत अमलाटोला, भुरकुली, गोविन्दपुर गांव में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जागरूकता कार्यक्रम में पंपलेट के माध्यम से ग्रामीणों को मध्यस्थता की जानकारी दी गयी. मौके पर चांदु मुर्मू, धुनू टुडू, वीरधान हेम्ब्रम, भोलानाथ मुर्मू, मंगल टुडू, वीरधान मार्डी, प्रकाश हेम्ब्रम, रासू टुडू उपस्थित थे.

योजनाओं को धरातल पर उतारूंगा। दस रुपये उपहार राशि दूंगा। प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।

पति-पत्नी की दो वर्ष की लड़ाई का मन के मिलन पखवाड़ा कार्यक्रम में हुआ अंत

- मध्यस्थों के समझाने पर सुलह को तैयार हो गए हरिपद व हेमंती
- 14 जून तक चलेगा कार्यक्रम, हर दिन होगा विवादों का निष्पादन

कार्यक्रम में शामिल अधिवक्तागण • जागरण

जागरण संवाददाता, बोकारो : झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर व जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्ष कुमारी रंजना अस्थाना के मार्ग दर्शन में चल रहे मन का मिलन पखवारा कार्यक्रम में गुरुवार को दो मामलों का निपटारा हुआ। डालसा व जिला प्रशासन के सहयोग से मध्यस्थता पर आधारित विशेष अभियान मन का मिलन पखवारा कार्यक्रम के तहत जिले के विभिन्न पंचायतों में कार्यक्रम किया गया। इसमें पारा लीगल वोलेंटियर्स ने बैनर एवं पंपलेट के माध्यम से लोगों को जागरूक किया।

कार्यक्रम के तहत गुरुवार को विभिन्न वादों में दोनों पक्षकार उपस्थित हुए और उनके बीच सुलह कराने का प्रयास किया गया। कुटुंब न्यायालय में लंबित एक मामले का निष्पादन हुआ। हरिपद महतो व उसकी पत्नी हेमंती कुमारी की शादी वर्ष 2020 में हुई थी। इस दंपति का दो वर्षीय पुत्र भी है। मध्यस्थ कालू गोपाल चटर्जी, पैनल अधिवक्ता एम के लायक, अधिवक्ता श्रीकांत कुमार शर्मा के प्रयास से लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रहा यह दंपति सुलह कर साथ रहने को तैयार हो गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव नीभा रंजना लकड़ा ने इस दंपति को माला पहनवाकर विदा किया। इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी न्याय सदन से विदाई के बाद सचिव समेत सभी ने की। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव निभा रंजना लकड़ा ने दी।

बोकारो की अन्य खबरों को देखें
www.jagran.com

असर्फी हॉस्पीटल
आपका अपना सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल

Secretary holds meeting with PLV regarding DLSA's 'Mann Ka Milan' fortnight

DN ■ Chatra

Secretary Pragya Bajpai, under the guidance of Principal District and Sessions Judge Co-Chairman District Legal Services Authority Rakesh Kumar Singh, held a meeting with the PLV in her office room on Wednesday regarding the ongoing 'Man Ka Milan' fortnight under the aegis of Jharkhand State Legal Services Authority, Ranchi. Did. In which, while discussing in detail about the meeting of the fortnight program with the PLVs of all the 12 blocks present, along with running an awareness campaign to make the fortnight program successful, many necessary guidelines were given to the PLVs. At the same time, Secretary Smt. Bajpai asked all the PLVs to meet each and every person of the block and inform them about the benefits of the 'Mann Ka Milan' fortnight and mediation from May 29 to June 14.

सर्जन डॉ अतुल कुमार ने कहा कि क्षेत्र व मिर्जाचौकी मंडरो प्रखंड क्षेत्र पुरुष वार्ड, वेटिंग एरिया, ओपीडी रूम ग्रामीण सहित सुदूर वर्ती क्षेत्र के ग्राम

व्यवहार न्यायालय में 14 जून तक आयोजित होगा 'मन का मिलन' पखवारा, लोग लें लाभ

प्रतिनिधि, साहेबगंज

जिला विधिक सेवा . प्राधिकार, साहेबगंज के तत्वावधान में व्यवहार न्यायालय में 29 मई से 14 जून तक 'मन का मिलन' पखवार के आयोजन को लेकर गुरुवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह प्राधिकार के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में प्राधिकार के सचिव सह वरीय सिविल जज धर्मेन्द्र कुमार ने प्रखंड साहेबगंज सदर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. प्राधिकार के सचिव सह वरीय सिविल जज धर्मेन्द्र कुमार ने शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यस्थता एक मंत्र है, जिससे विवादों का अंत तुरंत हो जाता है. 'मन का मिलन' विशेष पखवाड़ा के तहत पूरे जिले में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि न्यायालयीन विवादों के निराकरण हेतु पूर्व की अपेक्षा आज के परिप्रेक्ष्य में मध्यस्थता आवश्यक हो गयी है. मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का समाधान बहुत ही सरल तरीके से किया

कार्यक्रम में उपस्थित डालसा सचिव और विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य.

जा सकता है. मध्यस्थता के माध्यम से किसी भी प्रकार के सुलहनीय विवाद का समाधान निकाला जा सकता है और धन एवं समय के साथ-साथ मानसिक त्रास से दोनों पक्षों को छुटकारा मिलता है. उन्होंने आगे बताया कि न्यायालय में जो निर्णय होता है वह साक्ष्य एवं कानून के आधार पर होता है, जबकि मध्यस्थता से पक्षकारों के मध्य आपसी कटुता एवं विवाद का निराकरण करने के लिए प्रशिक्षित मध्यस्थ के द्वारा आपसी सुलह एवं समझौते की पहल की जाती है, जिससे विवाद का शीघ्र एवं अंतिम निपटारा होकर आपसी कड़वाहट भी दूर होती है. उन्होंने कहा कि मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है, जिससे सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित होता है एवं उसके आधार पर पक्षकारों के मध्य आपसी सुलह वार्ता करायी जाती है. मध्यस्थता की कार्यवाही के अंतर्गत पक्षकारों के विवाद एवं जानकारी को गोपनीय रखा जाता है. इस प्रकिया में दोनों पक्षों की जीत होती है, कोई नहीं हारता. उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से इस विशेष अभियान का लाभ उठाने की अपील की है. इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सुबोध कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के मुख्य लीगल एड डिफेंस कौंसिल अरविन्द गोयल, सुश्री ज्योति कुमारी, रतन कुमार, अमरेन्द्र श्रीवास्तव एव प्रखंड कर्मी और पैरा लीगल वालंटियर उपस्थित थे.

मन का मिलन पखवाड़ा के तहत मुफ्त कानूनी सलाह द्वारा केस समाप्त किया जा रहा है : राजेश कुमार

लोहरदगा : मन का मिलन पखवारा के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लोहरदगा के तत्वधान में लोगों को जागरूकता कार्यक्रम के तहत लंबित केस मुकदमा के बारे में जानकारी लोगों को बताया गया कि आपसी समन्वय बनाकर मध्यस्था के द्वारा मुफ्त में कानूनी सलाह द्वारा केस को समाप्त किया जा सकता है बारगेनिंग, सड़क दुर्घटना ,डायन बिसाही, कुप्रथा से लोगों को बचने की हिदायत दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र बहादुर पाल एवं सचिव राजेश कुमार के निर्देशन में कार्यक्रम हो रही है। कार्यक्रम में एलडीसी से सुदामा प्रसाद, पीएलवी दिलीप कुमार साहू, एसआई राजबहादुर आदि उपस्थित थे।

कार्यक्रम में आने का आमंत्रण भी दिया।

मन की मिलन पखवाड़ा का होगा आयोजन

कुंडहित (जामताड़ा) (आवाज) । जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष रंजीत कुमार तथा सचिव अभिनव कुमार के निर्देश के आलोक में गुरुवार को कुंडहित प्रखंड परिसर में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। बताया जाता है कि 29 मई से 14 जून तक जिला विधिक सेवा प्राधिकार जामताड़ा में चलने वाले विशेष मध्यस्थता अभियान मन की मिलन पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर प्राधिकार के पीएलबी दुलाल चंद्र भुई के द्वारा लोगों को मन की मिलन पकवाड़ा विशेष मध्यस्थता के अवसर के माध्यम से जनता के द्वारा सुलह समझौता के आधार पर अपने आप से बातों का निष्पादन मध्यस्थता के द्वारा करने के संबंध में जानकारी दी गई। बताया गया कि मध्यस्थता के माध्यम से निष्पादन किया जाएगा। जिसमें दोनों पक्षों की जीत होती है । साथ ही लोगों की समय और धन की बचत होती है और रिश्तो में भी आपसी संबंधों को बचाए रख सकते हैं इसीलिए 29 मई से 14 जून तक चलने वाले मध्यस्थता अवसर पर जाकर अपने वादों का निष्पादन मध्यस्थता से करने एवं विशेष जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार जामताड़ा में संपर्क करने की संबंधी जानकारी दी गई।

गिरिडीह न्याय मंडल समेत प्रखंडों में मन का मिलन पखवाड़ा का आयोजन

उज्जवल दुनिया संवाददाता

गिरिडीह । जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह की ओर से लगातार 15 दिनो तक मन का मिलन पखवाड़ा का आयोजन गिरिडीह न्याय मंडल समेत प्रखंडों में किया गया। झालसा, रांची के निदेर्शानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष गिरिडीह श्रीमती वीणा मिश्रा के मार्गदर्शन में ह्लमन का मिलन पखवाड़ाह्व का आयोजन कर गिरिडीह न्याय मंडल में न्यायालयों में लंबित मामलों तथा वाद पूर्व मामलों में पक्षकारों के द्वारा आवेदन प्राप्त कर उन्हें विधिक सहायता दी जा रही है। इस दौरान मध्यस्थता केंद्र में दो मामलों का निष्पादन पक्षकारों की आपसी सहमति से किया गया।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह श्री सौरव कुमार गौतम ने कहा कि माननीय झालसा, रांची के निर्देश पर मध्यस्थता की महत्ता एवं उपयोगिता को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मन का मिलन पखवाड़ा का आयोजन लगातार 29 मई से 14 जून तक किया जाना निर्धारित है। इस दौरान आम जनों के बीच निरंतर जागरूकता कार्यक्रम, परामर्श सेवाएं, दृश्य एवं श्रव्य माध्यमों से मध्यस्थता तथा लोक अदालत की सफल कहानियों के बारे में जानकारी प्रदान करना, विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों तथा वाद पूर्व मामलों में पक्षकारों के द्वारा आवेदन प्राप्त कर उन्हें विधिक सहायता प्रदान करना है।

यह कार्यक्रम दूसरे दिन भी गिरिडीह जिले के सभी प्रखंडों में प्रतिनियुक्त पारा लीगल वालंटियर्स द्वारा सचिव महोदय एवं विद्वान मध्यस्थों की देखरेख में की गई।

लिए प्रचार प्रसार कर रहा है.

मन का मिलन पखवाड़ा कार्यक्रम के माध्यम से मध्यस्थता का लाभ ले और बाकी वंचित जरूतमंद को भी दिलाए: सचिव

पाकुड़ : झालसा रांची के निर्देशानुसार आज शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के बाल कृष्ण तिवारी के निर्देश पर सचिव शिल्पा मुर्मू के मार्गदर्शन में पाकुड़ जिले के कई प्रखंडों के ग्रामीण क्षेत्रों में मन का मिलन पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया. मन का मिलन पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित से लोगो को उनसे मिलने वाली लाभ जो मध्यस्थता के दौरान मिलती है मध्यस्थता केंद्र में उपस्थित पैनल अधिवक्ता संजीत मुखर्जी ने ज़िक्र करते हुए बताया कि त्वरित प्रभावी न्याय और सस्ती प्रक्रिया है, गोपीनियता की गारंटी है लचीली अनौपचारिक स्नेहपूर्ण एवम् उचित प्रक्रिया लाभ समेत स्वैच्छिक विवाद समाधान, होता है मध्यस्थता के दौरान किए गए समझौते के विरुद्ध कोई अपील नही होती वही मिडियेटर अनंत किशोर ओझा ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच अनवरत मधुर संबंध के अलावे मध्यस्थता के आधार पर हुए निर्णय में न्यायालय शुल्क की वापसी लाभ प्रदान करना है. ऐसे तमाम कानूनी जानकारी दी गई. वही पीएलवी उत्पल मंडल और नीरज कुमार राउत द्वारा कहा गया की मध्यस्थता कराने हेतु पक्षकारों की सुविधानुसार समय स्थान रखा जा सकता है फिलहाल मन का मिलन पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत समय सुबह सात बजे से बारह बजे तक परामर्श अथवा लाभ लेने हेतु मध्यस्त, सचिव, पुलिस पदाधिकरी, से मिलने हेतु समय रखा गया है जागरूक पर्ची में सभी स्तर के विधिक कार्यालय का संपर्क नंबर एवम् ईमेल आईडी दी गई. त्वरित कार्रवाई हेतु लाभ ले सकते हैं अथवा डालसा में आवेदन दे सकते है. डालसा सदस्य द्वारा अपील है की इस मन का मिलन पखवाड़ा के तहत् समय रहते अधिक से अधिक संख्या में लाभ ले और भी बाकी जरूरतमंद योग्य व्यक्ति को लाभ दिलाए. मध्यस्थता को अपनाए खुद और न्यायालय का समय बचाए. पाकुड़ के जयकिष्टोपुर में याकुब अली ने जागरूक किया. वही नवादा पंचायत में पीएलवी सायेम अली ने मन का मिलन पखवाड़ा से संबंधित जागरूक किया. पाकुड़ प्रखंड परिसर स्थित आर सी टी भवन में पीएलवी कमला राय गांगुली, पिंकी मंडल, नीरज कुमार राउत ने लोगों को मध्यस्थता के दौरान मिलने वाली निशुल्क सुविधाओ हकदार समेत इनके विशेषता और उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए जागरूक किया गया. वही महेशपुर प्रखंड के जीतलपुर ग्राम में पीएलवी चंदन रविदास द्वारा जागरूक किया गया. पाकुड़ जिले के पाकुड़िया प्रखंड में पीएलवी सीमा साह ने दूर दराज से आए ग्रामीण को मन का मिलन पखवाड़ा के बारे में विस्तृत जानकारी दी.मौके पर भारी संख्या में महिला एवम् ग्रामीण उपस्थित रहें.

त्वरित न्याय के लिए मध्यस्थता अनिवार्य

संवाद सहयोगी, गोड्डा : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सह प्रधान जिला जज देवेन्द्र कुमार पाठक के निर्देश पर जिला मुख्यालय सहित विभिन्न विधिक सहायता केन्द्रों पर मन का मिलन पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इसके दूसरे दिन मंगलवार को व्यवहार न्यायालय परिसर, फ्रंट आफिस, मध्यस्थता केन्द्र एवं प्रखंड स्तर पर गठित विधिक सहायता केन्द्रों पर मामले के निष्पादन को लेकर मध्यस्थता की गई। इस दौरान आम लोगों के बीच डालसा की टीम ने जन जागरुकता अभियान चलाकर लोगों को इससे होने वाले लाभ की जानकारी दी। इससे संबंधित पोस्टर भी वितरित किये गये।

गहन मध्यस्थता केन्द्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डा. प्रदीप कुमार ने कहा कि यह पखवारा 29 मई से 14 जून तक जारी रहेगा। इसके तहत लोगों को अदालत के बाहर विवादों को सुलझाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। मन का मिलन पखवाड़ा में प्री लिटिगेशन एवं लिटिगेशन दोनों तरह मामले पर विचार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि त्वरित न्याय के लिए मध्यस्थता जरुरी है। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान पारिवारिक विवादों के समाधान पर रहेगा। इसके साथ ही डालसा की टीम के माध्यम से आम लोगों को पखवारा के संबंध में जानकारी दी जा रही है।

मन का मिलान पखवारा पर किया जागरुक

गोड्डा, एक प्रतिनिधि। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सह प्रधान जिला जज देवेन्द्र कुमार पाठक के मार्गदर्शन में झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर जिला मुख्यालय सहित विभिन्न विधिक सहायता केन्द्रों पर मन का मिलन पखवाड़ा का आयोजन किया गया है।

चौथे दिन शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय परिसर, फ्रंट आफिस, मध्यस्थता केन्द्र एवं प्रखंड स्तर पर गठित विधिक सहायता केन्द्रों पर मामले के निष्पादन को लेकर मध्यस्थता की गई। इस दौरान न्यायालय परिसर में आम लोगों के बीच प्रोजेक्टर के माध्यम से विशेष जानकारी दी गई। डालसा की टीम ने जन जागरुकता अभियान चलाकर लोगों को इससे होने वाले लाभ की जानकारी दी। गहन मध्यस्थता केन्द्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डा. प्रदीप कुमार ने कहा कि यह पखवारा 29 मई से 14 जून तक जारी रहेगा। इसके तहत लोगों को अदालत के बाहर विवादों को सुलझाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। मन का मिलन पखवाड़ा में प्री लिटिगेशन एवं लिटिगेशन दोनों तरह मामले पर विचार किया जायेगा। इस पखवारा का मुख्य उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से छोटी-छोटी वादों का त्वरित निष्पादन कराना है। पखवारा को सफल बनाने में व्यवहार न्यायालय परिसर में पीएलवी नवीन कुमार, बासुदेव मणीनंदन कुमार, धनंजय कुमार, जायसवाल मांझी व चंपा कुमारी, पोड़ैयाहाट में शंकर चंद्र सेन व मीनू बेसरा आदि थे।

ग्रामीणों को मध्यस्थता की जानकारी देते अधिकारी।

'पखवाड़ा कार्यक्रम मध्यस्थता पर आधारित'

सरायकेला. विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मन का मिलन पखवाड़ा को लेकर गुरुवार को हेंसा गांव में जागरूकता अभियान चलाया गया. पीएलवी राधेश्याम महतो व राजकुमार कैवर्त ने ग्रामीणों को मन का मिलन पखवाड़ा के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पखवाड़ा कार्यक्रम मध्यस्थता पर आधारित है. इसके तहत घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद, लोन संबंधी मामले, जमीनी विवाद सहित पुराने विवादों का निपटारा निःशुल्क किया जायेगा. मौके पर ग्रामीणों को मन का मिलन पखवाड़े में भाग लेने की अपील की गयी.

प्रभात खबर 2-6-2023

मन का मिलन पखवाड़ा की दी गयी जानकारी

सरायकेला। झालसा रांची तथा डालसा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सरायकेला प्रखंड के हेंसा गांव में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीएलएसए के पीएलवी राधेश्याम महतो और राजकुमार कैबर्त ने ग्रामीणों को मन का मिलन पखवाड़ा कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही ग्रामीणों से पखवाड़ा का लाभ लेने की अपील की। मौके पर वार्ड सदस्य मे महेंद्र जामुदा समेत अन्य ग्रामीण उपस्थित थे।

हिंदुस्तान

मन मिलन पखवाड़ा के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन

साहिबगंज: झालसा के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार मनोज कुमार सिंह के मार्गदर्शन में तथा सचिव सह वरीय सिविल जज धर्मेन्द्र कुमार के आदेशानुसार 29 मई से 14 जून 2023 तक मन का मिलन पखवाड़ा के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन कलवाटोला मदनशाही में किया गया. जिसमे आपसी सुलह समझौता के माध्यम से सिविल कोर्ट मे अपने केश का निपटारा मध्यस्थता के माध्यम से करा सकते है. मौके पर पीएलभी बंदना कुमारी, माधुरी कुमारी तथा सैकड़ों ग्रामीण क्षेत्रों के पुरुष और महिला उपस्थित थे.

मन का मिलन पखवाड़ा में आठ वादों का निबटारा

बोकारो. शुक्रवार को डालसा व जिला प्रशासन के सहयोग से मन का मिलन पखवाड़ा पंचायतों में चला. पीएलवी ने लोगों को जागरूक किया. कोर्ट में लंबित आठ वादों का निबटारा दोनों पक्षकारों की सहमति से हुआ. जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव निभा रंजना लकड़ा, मध्यस्थ केजी चटर्जी व एके राय, पैनल अधिवक्ता एमके लायक, अधिवक्ता रंजन कुमार मिश्रा, श्रीकांत कुमार शर्मा, देवव्रत चक्रवर्ती मौजूद थे.

प्रभात खबर

मन का मिलन पखवाड़ा कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर हुई चर्चा

नवीन मेल संवाददाता। चतरा

झालसा के तत्वाधान में चल रहे मन का मिलन पखवाड़ा को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राकेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन में सचिव प्रज्ञा बाजपाई ने अपने कार्यालय कक्ष में बुधवार को पीएलवी के साथ बैठक किया। जिसमें उपस्थित सभी 12 प्रखंड के पीएलव के साथ मन का मिलन पखवाड़ा कार्यक्रम पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए, पखवाड़ा कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के साथ कई

आवश्यक दिशा निर्देश पीएलवी को दिया। साथ हीं सचिव श्रीमती बाजपाई ने सभी पीएलवी को प्रखंड के प्रत्येक व्यक्ति से मिलकर उन्हें 29 मई से 14 जून तक चलने वाले मन का मिलन पखवाड़ा तथा मध्यस्था से होने वाले लाभ से अवगत कराने की बात कही।